न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 192/2020 जिला टोंक

1. रेवता पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
2. लादू पुत्र बीला जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
3. मंगल पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
4. रामफूल पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
5. छोगा पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
6. छोटू पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
7. देवा पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
8. बद्री पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
9. मेवा पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।
10. सीता पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी राणोली तह0 पीपलू जिला टोंक राज0।

—अपीलांटस

बनाम्

1. बादाम पुत्री भोलू जाति बैरवा निवासी राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक राज0।
2. सीता पुत्री भोलू जाति बैरवा निवासी राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक राज0।
3. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार टोंक।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 19.10.2010

अपीलांट अभिभाषकः—अनुपस्थित
रेस्पो0 अभिभाषकः—श्री सीताराम विजय

निर्णय दिनांकः—20.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट 1 व 2 के पिता भोलू पुत्र चन्द्रा को दिनांक 20.11.1975 को ग्राम राणोली तहसील टोंक जिला टोंक में खसरा नम्बर 2637,2640,2648 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त करने हेतु जिला कलक्टर टोंक में प्रस्तुत किया था। जिसे प्रकरण संख्या 2/2009 के रूप में दर्ज किया जाकर जिला कलक्टर टोंक द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 19.10.2010 को अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 20.11.1975 को यथावत रखा। जिला कलक्टर टोंक के इस निर्णय से रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 09.12.2010 को प्रस्तुत की थी। राजस्व ग्रुप—6 अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में पत्रावली सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपील में निम्न आधार लिये गये है—

1. आवंटी द्वारा कभी भी भूमि को काश्त नहीं किया गया है। इसी वजह से अब तक उसे खातेदारी अधिकारी नही दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:00 IST
Reason: SelfAttested

2. आवंटन के लिए भूमि रिक्त नहीं थी। क्योकि भूमि अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासीयों के उपयोग–उपभोग में आती रही है। आवंटन की सार्वजनिक उद्घोषणा नही की गई थी।

3. आवंटी भूमि पर काश्त करने में रूचि नहीं रखते है तथा अपीलांट और अन्य को आवंटन से पूर्व बेदखल नहीं किया गया। अपील स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 20.11.1975 एवं अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 19.10.2010 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही जमाबंदी संवत 2063 ग्राम राणोली खाता नम्बर नया 841 प्रस्तुत की।

अपील प्रस्तुत किये जाने पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से धारा 148 सीपीसी में केवियट प्रस्तुत की गई। जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 21.12.2010 को राजस्व रिकोर्ड में यथास्थिति के आदेश दिये गये। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा मगर रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु कार्य करने बाबत छूट प्रदान की है।

बहस सुनी गई। बहस के दोरान वकील अपीलांट अनुपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए एकपक्षीय बहस सुनी गई। एकपक्षीय बहस में उनके द्वारा बताया गया कि आवंटन हमारे पक्ष में है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.10.2010 से आवंटन बहाल रखा है। आवंटन बहुत पुराने समय दिनांक 20.11.1975 का है। रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति के सदस्य है जबकि अपीलांट सामान्य जाति से है। अपील खारिज की जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 19.10.2010 का है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 09.12.2010 को अपील प्रस्तुत की है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार आवंटित भूमि सार्वजनिक रूप से ग्रामवासीयों के उपयोग में आ रही है। काबिलकाश्त भूमि नहीं है। रेस्पोडेंट अपीलाधीन निर्णय की आड़ में भूमि की मौके एवं रिकोर्ड की स्थिति में शीघ्रता से परिवर्तन करने पर आमादा है। अपील निर्णय तक मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें। प्रार्थी अपीलांट को भूमियों से बेदखल ना करें। इस पर दिनांक 21.12.2010 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत आदेश दिया था। मगर रेस्पोडेंट को खातेदारी प्राप्त करने के कार्यवाही हेतु स्वतंत्र बताया गया था। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। आवंटी अनुसूचित जाति के है। अपीलांट एकतरफ अपील मीमो एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में भूमि को सार्वजनिक उपयोग उपभोग में आना बताते है। दूसरी ओर यह भी कहते है कि प्रार्थीगण को बेदखल ना किया जाये। प्रार्थीगण का आवंटित भूमियों पर कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनकी हेसियत अतिक्रमी से ज्यादा की नहीं हो सकती है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटित भूमियों पर उन्हें किसी भी प्रकार कोई लाभ नही दिया जा सकता है। उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रार्थीगण अपील मे मुख्य आधार ये लेकर [illegible] कि उनका वर्षों से कब्जाकाश्त है तथा भूमि सार्वजनिक उपयोग मे लाई जा रही है [illegible] द्वारा आवंटन शर्तों की पालना न करने से , उनका कब्जा न होने से आवंटन निरस्त किया जायें। आवंटी भोलू पुत्र चन्द्रा बेरवा को राजस्व एवं भू सुधार विशेष अभियान [illegible] 1975 जिला टोंक में काश्त करने के लिए नई जमीन दी गई। उक्त जमीन अन्तर्गत धारा 101 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू 1956 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नियमानुसार उपलब्ध करवायी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:00 IST
Reason: SelfAttested

थी। भोलू पुत्र चन्द्रा बैरवा द्वारा ग्राम राणोली में दिनांक 20.11.1975 को विवादित भूमियों हेतु आवेदन पत्र भरा था। उक्त आवेदन पत्र पर गवाह के तौर पर लादूराम के हस्ताक्षर है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आवंटित भूमियों 2640 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 2648 रकबा 9 बिस्वा, 2637 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि को सिवायचक काबिलकास्त भूमि बताया गया तथा यह भी अंकित किया कि इस भूमि पर किसी का अतिक्रमण नहीं है। यदि अतिक्रमण है तो उसे मौके पर बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया है। उक्त मौके पर नीचे की ओर पटवारी के हस्ताक्षर है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भू–आवंटन सलाहकार समिति की सहमति के आधार पर कैम्प राणोली में दिनांक 20.11.1975 को भूमि आवंटन आवंटी के पक्ष में किया गया। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर नियमों के अनुसरण में आवंटी भोलू पुत्र चन्द्रा बेरवा को नियमानुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा काबिलकाश्त भूमि तथा अनाधिवासीत भूमि आवंटित की गई थी। अतः अपीलांटगण की इस बात में दम नहीं है कि भूमि काबिलकाश्त भूमि नहीं थी तथा उस पर अपीलांटगण का कोई कब्जा था। जमाबंदी संवत 2063 ग्राम राणोली के अनुसार रेस्पोडेंट 1 व 2 विवादित भूमि हेतु गैर खातेदार के रूप में अंकित है। अपीलांटगण द्वारा विवादित भूमियों पर अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। ना ही उसके द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार से भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। जबकि अपील मीमो में वे अपना कब्जाकाश्त बता रहे है और दूसरी ओर भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बता रहे है। अपीलांटगण का कब्जा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की कैसे हो सकती है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 2/2009 निर्णय दिनांक 19.10.2010 में इस बात का उल्लेख किया है कि अपीलांटगण द्वारा तत्समय भी आवंटन निरस्तीकरण बाबत कोई तथ्य साबित नहीं कर पाये थे। यहां तक की अपील में अपीलांट द्वारा यह भी बताया गया कि आवंटी काश्त करने के इच्छुक नहीं है। इस प्रकार की बात से भी कोई आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी रेस्पोडेंट को नियमों के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटित की गई थी तथा जो भूमि आवंटित की गई थी वह काबिलकाश्त थी तथा आवंटन के समय उस पर किसी का कब्जा नही था। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 2/2009 उनवानी रेवता एवं अन्य बनाम बदाम एवं अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश भोलू पुत्र चन्द्रा बैरवा निवासी राणोली दिनांक 20.11.1975 निर्णय दिनांक 19.10.2010 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:20:00 IST
Reason: SelfAttested